न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. नवनीत कुमार । (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 01/265
तारीख दायर :- 16/11/2018

उनवान

1. सूरज पुत्र भगवान सहाय जाति बागडा ब्राह्मण निवासी दुहारचौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान | - वादी |

बनाम

1. साधुराम पुत्र भगवान सहाय जाति बागडा ब्राह्मण निवासी दुहारचौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान | - असल प्रतिवादी |
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी भू.-स्वामी तहसील थानागाजी अलवर राजस्थान |
3. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज.|
4. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज.| - तकमीली प्रतिवादीगण |

|| दावा अन्तर्गत धारा अन्तर्गत 53,88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ||

उपस्थिति:-
1. श्री राजेश कुमार मीना अभिभाषक वादी |
2. कोई उपस्थित नही अभिभाषक प्रतिवादीगण |

न्यायालय द्वारा:-

निर्णय दिनांक:- 21/12/2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 565 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 566 रकबा 1.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 642 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 643 रकबा 0.1600हैक्टेयर किता 04 कुल रकबा 2.1200 वाके गाम दुहारचौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज. में स्थित चली आती है | जो आराजी दावा हाजा में विवादित आराजी बयान की गई है |

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी में वादी का वादी 1/3 हिस्सा का तथा असल प्रतिवादी संख्या एक 2/3 हिस्सा का काबिज काश्तकार खातेदार है | विवादित आराजी वादी व् असल प्रतिवादी की मुताबिक रिकॉर्ड मुस्तर्का खातेदारी की आराजी है | तथा अविभाजित आराजी है |

वादी व् असल प्रतिवादी मौके पर उक्त आराजी विवादित पर अपने अपने हिस्से पर काबिज है | और काबिज रहकर अपने अपने हिस्से पर कार्य काश्त करते आ रहे है | वादी के हिस्सा की आराजी से प्रतिवादी असल का कोई सम्बन्ध किसी किस्म का नही है |

विवादित आराजी रिकॉर्ड में मुस्तर्का कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है | तथा मुताबिक रिकॉर्ड विवादित आराजी है | तथा मुताबिक रिकॉर्ड सम्पूर्ण विवादित आराजी पर वादी व प्रतिवादी असल का मुस्तर्का में कब्जा काश्त चला आता है | प्रतिवादी असल बड़ा लड़ाकू व् मुठमर्द है जो जबरन वादी के हिस्से की आराजी में कार्य काश्त में बाधा डालता है | तथा जबरन कब्ज़ा कर वादी को बेदखल करना चाहता है | बिना तकसमा ही प्रतिवादी असल विवादित आराजी को दीगरो को रहन बैय करने की फ़िराक में है जिसका असल प्रतिवादी को कोई कानूनी हक़ व अधिकार नही है |

दिनांक 08/11/2018 को असल प्रतिवादी ने विवादित आराजी में वादी के हिस्से कब्जे काश्त में बाधा डाली व वादी को बेदखल करना चाहा एवं विवादित आराजी को बिना तकासमा ही दीगरो को रहन बैय कने के धमकी दी तथा नही माना व् वादी ने विवादित आराजी का तकसमा सरस नरस के आधार पर करने को प्रतिवादी असल को कहा तो वह तकसमा कराने से साफ़ इन्कार हो गया | राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजी शामलती की है जिसका विधिक तकसमा नही हुआ है अब वादी का प्रतिवादी असल के साथ शामलाती रिकॉर्ड में विवादित आराजी में रहना व् कार्यकाश्त करना दूभर हो गया है |

यदि असल प्रतिवादी ने वादी के हिस्से की विवादित आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डाली व जबरन कब्ज़ा कर लिया बिना तकासमा विवादित आराजी को दीगरो को रहन बैय कर दिया तो वादी बर्बाद हो जायेगा, मुकदमा बाजी बढ़ेगी, हकूक वादी जायल होंगे, शक्ल आराजी बदल जावेगी वादी को बड़ा भारी नापूर्ति होने वाला निकसान होगा | इसलिए वादी प्रतिवादी असल को जर्ये अदालत स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबन्द कराने का अधिकारी है | जिस हेतु वाद पेश है |

दावा वादी विरुद्ध असल प्रतिवादी निम्नलिखित तरीके से डिक्री फरमाने की कृपा करे :-

डिक्री तकसीम आराजी इस अमर के है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 565 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 566 रकबा 1.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 642 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 643 रकबा 0.1600हैक्टेयर किता 04 कुल रकबा 2.1200 वाकै गाम दुहारचौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज. में वादी का 1/3 हिस्सा तकसीम जिया जाकर कुरेजात कायम किये जाकर अलग से खता कायम किया जावे |

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया | प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया | प्रतिवादीगण बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहा | अत: इकतरफा कार्यवाही कर प्राथमिक डिक्री दिनांक 20/05/2019 को जारी की गई | तहसीलदार थानागाजी से कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 31/01/2020 को प्राप्त होने पर वकील वादी द्वारा प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में सहमती दी | अत: प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है |

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

वादी द्वारा प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में सहमती दी | अतः प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है |

जमाबन्दी के अनुसार प्रविष्टी				प्रस्तावित नवीन प्रविष्टिया			
खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	लगान	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	लगान
१. सूरज पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/3 जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह. खातेदार राहीन हिसा 1/3 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा थानागाजी		565	0.01 गै.मु. चाह	0.00	१. सूरज पुत्र भगवान सहाय जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह. खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा थानागाजी		642	0.44 बारानी द्वितीय	2.64
	566	1.51 बारानी द्वितीय	9.06		643	0.16 बारानी द्वितीय	0.96
२. साधुराम पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 2/3 जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 2/3 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा थानागाजी		642	0.44 बारानी द्वितीय	2.64		2051/ 566	0.11 बारानी द्वितीय	0.66
	643	0.16 बारानी द्वितीय	0.96		किता 3	0.71	4.26
				२. साधुराम पुत्र भगवान सहाय जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा थानागाजी		565	0.01 गै.मु. चाह	0.00
					2052/ 566	1.40 बारानी द्वितीय	8.40
	किता 4	2.12	12.66		किता 2	1.41	8.40

उपरोक्तानुसार तहसीलदार थानागाजी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे | तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो | पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 21/12/2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया |

उपखण्ड अधिकारी
नवनीत कुमार | (आर.ए.एस.)
थानागाजी (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी थानागाजी

Scanned by CamScanner

—ी जिला अलवर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर थानागाजी

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. नवनीत कुमार I (आर.ए.एस.)

उनवान

1. सूरज पुत्र भगवान सहाय जाति बागडा ब्राह्मण निवासी दुहारचौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान | - वादी |

बनाम

1. साधुराम पुत्र भगवान सहाय जाति बागडा ब्राह्मण निवासी दुहारचौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान | - असल प्रतिवादी |
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी भू.-स्वामी तहसील थानागाजी अलवर राजस्थान |
3. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज.|
4. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज.| - तकमीली प्रतिवादीगण |

|| दावा अन्तर्गत धारा अन्तर्गत 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ||

राजस्व वाद संख्या :- 01/265
तारीख़ दायर :- 16/11/2018
निर्णय दिनांक :- 21/12/2020

वादी की और से वकील श्री राजेश कुमार मीना की व प्रतिवादीगण की और से कोई नही की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21/12/2020 को मुझ डॉ. नवनीत कुमार I (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है की:-

क्र.स.	खातेदार का नाम	आराजी वाके दुहार चौगन	
		खसरा नम्बर	रकबा
1.	सूरज पुत्र भगवान सहाय जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह. खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा थानागाजी		642	0.44 है. बारानी द्वितीय
		643	0.16 है. बारानी द्वितीय
		2051/566	0.11 है. बारानी द्वितीय
		किता 3	0.71 है.
2.	साधुराम पुत्र भगवान सहाय जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा थानागाजी		565	0.01 है. गै.मु. चाह
		2052/566	1.40 है. बारानी द्वितीय
		किता 2	1.41 है.

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो | नक्शा ट्रेस डिक्री का जुज रहेगा | खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे |

यह आज तारीख 21/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर से और मुद्रा लगाकर दी गई |

नवनीत कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बानसूर

Scanned by CamScanner